प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

अधिकारिता: माननीय श्री राजीव गुप्ता, सी.जे., एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, जे.

दाण्डिक अपील संख्या 803/1993

शम्भू और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ   सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें: 9/11/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय. बिलासपुर

अधिकारिता: **माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता, एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

दाण्डिक अपील संख्या 803/1993

अपीलकर्ता

1. शम्भू उर्फ विनय पिता रामस्वरूप अग्रवाल उम्र 19 वर्ष
2. रामस्वरूप, पिता भोलाराम अग्रवाल, उम्र 56 वर्ष
3. सावित्री देवी, रामस्वरूप अग्रवाल की पत्नी, उम्र 51 वर्ष

(मृत- उसकी अपील निरस्त की गयी)

सभी निवासी लाल टंकी के पास, केवड़ावाड़ी रोड,
रायगढ़, थाना रायगढ़, जिला रायगढ़

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(धारा 374 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 21) के तहत दाण्डिक अपील)

उपस्थिति:

श्री एस.के. तिवारी, अपीलकर्ता क्रमांक 1 के अधिवक्ता।

श्री जी.एस. अहलूवालिया, अपीलकर्ता संख्या 2 के अधिवक्ता।

श्री जमील अख्तर लोहानी, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(09/11/2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा सुनाया गया

(1) यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 27/92 में पारित निर्णय दिनांक 11 अगस्त 1993 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

(2) आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलकर्ता नंबर 1 - शंभू को भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, एवं 5,000 के व्यतिक्रम पर 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास से दण्डित किया गया। अपीलकर्ता 2 और 3 (रामस्वरूप और सावित्री देवी) को भा. दं. सं. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ता संख्या 1 के समान ही सजा भी सुनाई गई है।

(3) अपीलकर्ता क्रमांक 3 - सावित्री देवी की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। इसलिए, अपीलकर्ता क्रमांक 3 की ओर से दायर अपील निरस्त की जाती है।

(4) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

अपीलकर्ता क्रमांक 1 अपीलकर्ता 2 और 3 का पुत्र है। मृतक श्यामसुंदर सागरमल (अ.सा. - 6) का पुत्र था, जो अपीलार्थी क्रमांक 2 का सगा भाई है। घटना 7.11.91 को हुई, जो दीपावली महोत्सव के तीन दिन बाद की थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि

आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1 - शंभू, टिंगू, डबलू, पवन कुमार (अ.सा. - 1), और विकास (अ.सा. - 2), आदि, अपीलकर्ता शंभू के घर में - जो किसी प्रेम प्रकाश (अ.सा. - 15) को किराए पर दिया गया था - ताश खेलकर जुआ खेल रहे थे। उक्त घर अपीलकर्ताओं के दूसरे घर के पीछे स्थित है जिसमें वे रहते थे। रात लगभग 10.30 बजे, मृतक श्यामसुंदर, दीपक अग्रवाल, नीरज और गणेश कुमार (अ.सा. - 10) भोजन लेने के लिए पवन कुमार (अ.सा. - 1) को बुलाने के लिए वहां आए। मृतक- श्यामसुंदर ने कहा कि वह मामले की शिकायत पुलिस से करेगा क्योंकि वे लोग जुआ खेल रहे थे. इस पर अपीलकर्ता शंभू ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और वापस चले जाने को कहा। मृतक- श्यामसुंदर ने कहा कि वह अपने पिता को बुला रहा है और यह कहकर वह दोनों घरों के बीच वाली गली में आ गया। आरोप यह है कि उस समय, अपीलकर्ता 2 और 3 भी अपने घर से बाहर आए, अपीलकर्ता क्रमांक 2 ने मृतक श्यामसुंदर को पकड़ लिया और अपीलकर्ता क्रमांक 3 - सावित्री देवी ने अपीलकर्ता क्रमांक 1 - शंभू को एक गुप्ती दी, जिसके प्रयोग से उसने मृतक के पेट के बाएं क्षेत्र पर एक वार किया, इससे मृतक गिर गया। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पवन कुमार

(अ.सा. - 1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श - पी/1) दर्ज कराई। अन्वेषक अधिकारी अस्पताल पहुंचे, पंचों को नोटिस दिया और मृतक के शरीर पर मृत्यु-समीक्षा (प्रदर्श -पी/2) तैयार की। शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसका संचालन डॉ. शरद अवस्थी (अ.सा. - 5) ने किया। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/4 है। उन्हें बाएं वंक्षण क्षेत्र पर 1 1/2 इंच का एक सिला हुआ घाव मिला। आंतरिक जांच करने पर यह पाया गया कि बाईं ऊरु वाहिकाएं और समरूप पक्ष की आंतरिक इलियाक धमनियां भी कट गई थीं। चोटें मृत्यु-पूर्व थीं और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। मृत्यु का कारण सदमा था जो अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप लगा।

अपीलकर्ता 2 और 3 को भी चोटें आई थीं। डॉक्टर द्वारा उनकी जांच भी की गई। अपीलकर्ता क्रमांक 2 - रामस्वरूप को खोपड़ी पर 3 सेमी x 2 सेमी का एक घाव, बायीं हथेली पर 1 1/2 सेमी x 1 सेमी का एक घाव और दाहिने घुटने पर 2 सेमी x 2 सेमी का एक और घाव मिला था। उनकी चोट रिपोर्ट प्रदर्श - पी/29 है। अपीलकर्ता क्रमांक 3 - सावित्री देवी को भी 2 चोटें आईं, जो सामान्य प्रकृति की थीं।

(5) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता 2 और 3 ने अपीलकर्ता नंबर 1 के साथ एक समान आशय साझा किया, जिसने मृतक को उपरोक्त चोट पहुंचाई जो प्राणान्तक साबित हुई। इसलिए, अपीलकर्ता उपरोक्तानुसार दंड के पात्र थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निजी अभिरक्षा के अधिकार की दलील; कि मृतक और उसके अन्य साथी अपीलकर्ताओं के घर निहत्थे आए थे, और इस बात का कोई निश्चित सबूत नहीं था कि उन्होंने अपीलकर्ताओं पर हमला किया था; को खारिज कर दिया।

(6) अपीलकर्ता क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. तिवारी ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 का मामला भा. दं. सं. की धारा 302 के दायरे में नहीं आता है और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 भा. दं. सं. के तहत अपीलकर्ता क्रमांक 1 को दोषी ठहराकर कानून में गलती की है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एस. अहलूवालिया ने तर्क दिया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अन्य 2 अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साथ एक

समान आशय साझा किया था, इसलिए धारा 34 भा. दं. सं. की सहायता से अपीलकर्ताओं 2 और 3 की सजा संभव नहीं थी।

(7) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित फैसले का समर्थन किया।

(8) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(9) सबसे पहले हम धारा 34 भारतीय दंड संहिता की सहायता से अपीलकर्ता क्रमांक 2 की सजा का परीक्षण करेंगे।

(10) धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई मौलिक अपराध नहीं बनाती। धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

सामान्य आशय के आरोप को सामने लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो, स्थापित करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन में उस अपराध को करने की योजना या सहमति थी जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व नियोजित हो या क्षणिक प्रेरणा पर; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिए। सामान्य इरादे का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आरोपी का इरादा बाकी लोगों को पता हो और उनके द्वारा साझा किया जाए।

(11) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर यही कहा है। इसलिए, कृत्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह साबित होना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य आशय से क्रियान्वित किया गया होगा।

(12) मौजूदा मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श - पी/1) पवन कुमार (अ. सा. - 1) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो एक चश्मदीद गवाह था। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की प्रत्यक्ष जानकारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, पवन कुमार ने कहा कि जब वे अपीलकर्ता के दूसरे घर से बाहर

आ रहे थे, तो अपीलकर्ता क्रमांक 2 - रामस्वरूप और उनकी पत्नी (अपीलकर्ता क्रमांक 3 - सावित्री देवी) भी अपने घर (दूसरे घर) से बाहर आए और उन्होंने उसके पिता के लिए अवांछित शब्द कहने शुरू कर दिए, और अपीलकर्ता क्रमांक 2 - रामस्वरूप ने मृतक श्यामसुंदर को पकड़ लिया। इसके बाद अपीलार्थी क्रमांक 3 - सावित्री देवी ने अपने पुत्र अपीलार्थी क्रमांक 1 - शंभू को गुप्ती दी और कहा कि मृतक को मार डालो, जिस पर अपीलार्थी क्रमांक-1 ने मृतक के पेट पर गुप्ती से वार कर दिया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 उन लोगों के साथ था जो उसके दूसरे घर में जुआ खेल रहे थे और वह अपराध करने से पहले अन्य अपीलकर्ताओं के संपर्क में नहीं था। यहां तक कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा कहीं नहीं आया है कि जब अपीलकर्ता क्रमांक 2 ने मृतक को पकड़ा, तो अपीलकर्ता क्रमांक 3 के पास पहले से ही गुप्ती थी और उसने इसे अपीलकर्ता क्रमांक 1 को सौंप दिया था। इसलिए, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सभी अपीलकर्ताओं के दिमाग में कोई योजना या सहमति, या तो पूर्व-निर्धारित या त्वरित, कथित अपराध को अंजाम देने के लिए थी।

(13) ***रामाशीष यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, 2000 C.R.I. L.J. 12,*** में कुछ इसी तरह की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "सामान्य आशय का अर्थ है सामूहिक रूप से कार्य करना, अर्थात एक पूर्व-व्यवस्थित योजना का अस्तित्व, जिसे या तो आचरण से या परिस्थितियों से या किसी भी अभियोगात्मक साक्ष्यों से साबित किया जाना आवश्यक है। यह एक पूर्वनियोजित योजना की आवश्यकता रखता है और यह पूर्व सहमति को मानकर चलता है। इसलिए, पहले से एकमत सहमति होना आवश्यक है। यह पूर्व सहमति अथवा मन का मिलन अपराधियों के आचरण से, जो कार्यवाही के दौरान प्रकट होता है, तथा हमले को शुरू करने से ठीक पहले उनके द्वारा किए गए कथनों से निर्धारित किया जा सकता है। यह आकस्मिक रूप से भी विकसित हो सकता है लेकिन इसमें पूर्व-व्यवस्था या पूर्व-चिन्तित मिलाप होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए यह कानून की आवश्यकता है, केवल इस तथ्य से कि आरोपी "RP" और "RY" आए और मृतक को पकड़ लिया, जिसके बाद 'SY' और 'SL' अपने हाथों में गंडासा (चॉपर) लेकर आए और गंडासा (चॉपर) से वार किया, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी "RP" और "RY" का आरोपी "SY" और "SL" के साथ समान

इरादा था। नतीजतन, आरोपी "RP" और "RY" को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आरोप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन चूंकि आरोपी "SY" और "SL" ने मृतक के सिर पर गंडासा (चॉपर) से हमला किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, नतीजतन उन्होंने धारा 302/34 के तहत अपराध किया है।

(14) वर्तमान मामले में, जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है, एक पूर्व-नियत योजना या पूर्व सहमति के अस्तित्व का बिल्कुल भी कोई भी साक्ष्य नहीं था। पूर्व मानसिक समन्वय का कोई साक्ष्य बिल्कुल नहीं था, और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपीलकर्ता क्रमांक 2 के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा मृतक को दी गई संबंधित चोट पहुँचाने के लिए अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साथ किसी भी प्रकार का सामान्य अभिप्राय साझा नहीं किया था। इसलिए, धारा 34 भा.दं.सं. की सहायता से अपीलकर्ता क्रमांक 2 की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(15) अब हम अपीलकर्ता नंबर 1 के मामले का परीक्षण करेंगे।

(16) श्री तिवारी ने तर्क दिया है कि मृतक को लगी चोट वह चोट नहीं थी जिसे अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा पहुँचाने का अभिप्राय था। ***विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1958***

SC 465, में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि कोई चोट हमला करने वाले हमलावरों द्वारा जानबूझकर पहुँचाई गई पाई जाती है और वह साधारण परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होती है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरी उपधारा को आकर्षित करती है, और इसलिए, उसका कर्ता धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय होगा। अतः, वर्तमान मामले में प्रश्न यह होगा कि क्या वह विशिष्ट चोट, जो साधारण परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पाई गई, वास्तव में अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा पहुँचाने का अभिप्रेत घाव था? अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा मृतक को दिया गया एकमात्र प्रहार उदर क्षेत्र पर था, जिसने अंततः बाईं ऊरु वाहिकाओं तथा आंतरिक इलिएक धमनियों को काट दिया, जो उक्त चोट से संबद्ध थीं। निश्चित रूप से, अपीलकर्ता क्रमांक 1 को यह ज्ञान या अनुमान भी नहीं रहा होगा कि ऐसा प्रहार उपर्युक्त वाहिकाओं या धमनियों को काट देगा। अपीलकर्ता क्रमांक 1 के एक ही प्रहार से उपर्युक्त वाहिकाओं और धमनियों का कट जाना, जो घातक सिद्ध हुआ, अनाभिप्रेत था। हमारे इन विचारों का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों के अभिनिर्धारण से होता है: ***हरजिंदर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1968 SC***

867; लक्ष्मण कालू निकाली बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1968 SC 1390; तथा गोकुल परशुराम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1981 SC 1441, जिनमें उपर्युक्त पहले दो निर्णयों का भी संज्ञान लिया गया है

(17) ऐसा प्रतीत होता है कि जब अपीलकर्ता क्रमांक 1 तथा अन्य व्यक्ति, जिनमें मृतक भी शामिल था, गली में आए और मृतक ने जुए के बारे में पुलिस को सूचना देने की बात कही, तथा अपीलकर्ता क्रमांक 2 ने मृतक को गाली दी, तो झगड़ा प्रारम्भ हो गया और अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने आकस्मिक उत्तेजना में मृतक को एक ही प्रहार किया, जिससे उपर्युक्त चोट लगी, जो अभिप्रेत नहीं थी। अतः, उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर, हमारा मत है कि धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपीलकर्ता क्रमांक 1 की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, और मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारे विचार से, अपीलकर्ता क्रमांक 1 धारा 304 भाग - II भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड का उत्तरदायी होगा।

(18) उपर्युक्त कारणों के लिए, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को

निरस्त किया जाता है। उन्हें उनके विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता क्रमांक 1 को धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश भी निरस्त किए जाते हैं। उसके स्थान पर, अपीलकर्ता क्रमांक 1 को धारा 304 भाग–II भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और उसे इस मामले में पहले से भुगती गई अवधि, जो कि लगभग 4 वर्ष है, से दंडित किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत-बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aryan Mishra